15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.
INDIA NON JUDICIAL
पन्द्रह हज़ार रुपये
RUPEES FIFTEEN THOUSAND
सत्यमेव जयते
Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

0JBB 494323

- 1 DEC 2003

पट्टागत नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड का विलेख

नजूल भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु फ्रीहोल्ड के प्रमाण पत्र का यह विलेख सन् 2003 ई0 के दिसम्बर माह के 10 वें दिन, तदनुसार शक सम्वत 1925 के मार्गशीर्ष मास के 19 वें दिन को **उत्तर प्रदेश के राज्यपाल**, (जिनको यहाँ आगे चल कर 'विक्रेता' कहा गया है) प्रथम पक्ष तथा **श्री हरिमोहन दास टण्डन पुत्र स्व. श्री मनमोहन दास टण्डन** निवासी 28, हेस्टिंग्स रोड, डाकखाना प्रधान डाकघर, तहसील सदर, ज़िला इलाहाबाद (जिनको यहाँ आगे चलकर **"क्रेता"** कहा गया है) द्वितीय पक्ष, के मध्य लिखा गया है।

चूँकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फार इण्डिया इन काउंसिल एवं श्री माधो प्रसाद पुत्र स्व० राय

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

10.12.2003
(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर जिला मैजिस्ट्रेट (नजूल)
इलाहाबाद

कलक्ट्रेट कोषागार इलाहाबाद
दिनांक 3/12/03 जमा [illegible] रुपया 15000/-
नाम व पता श्री हरि मोहन दास टण्डन 28 हैरिंग रोड [illegible]
[illegible]
हस्ताक्षर

फीस रजिस्ट्री 1,53,667/2 = 15000/- ... योग 15020/- ...
बैनामा 1,53,667/2 ... स्व० मनमोहन दास टण्डन
श्री हरि मोहन दास टण्डन ... इलाहाबाद
निवासी 28 हैरिंग रोड सदर ... लिया गया है आज
ने यह लेखपत्र [illegible] कार्यालय उप निबंधक
दिनांक 11-12-03 ... 12/1
सदर इलाहाबाद में [illegible] किया।

उप निबंधक
सदर-इलाहाबाद
11-12-03

[signature]

लेखपत्र की संविदा व [illegible] को [illegible] समझने के पश्चात लेखपत्र
का निष्पादन करना एवम् रुपये 1,53,667/2 ...
... प्रतिफलानुसार ~~पूर्व / मेरे समक्ष प्राप्त करना~~
...
श्री हरि मोहन दास टण्डन ने [illegible]
निवासी ...
... ने स्वीकार किया।

(सदर) इलाहाबाद
[illegible]

15000रू. भारतीय गैर न्यायिक 15000रू.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हज़ार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

- 1 DEC 2003 01B 494324

(2)

बहादुर लाला राम चरण दास के मध्य निष्पादित पट्टा विलेख दिनांक **30.06.1921** ई० जो एडिशनल फाइल बुक नम्बर 1/ जिल्द संख्या 669 के पृष्ठ 44 पर विलेख संख्या 1373 के रूप में सब रजिस्ट्रार, जनपद इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक **20.09.1921 ई०** को रजिस्टर्ड है, (जिसे आगे **'पट्टा विलेख'** कहा गया है और जिसमें **सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फार इण्डिया इन काउंसिल** को पट्टादाता और उक्त **श्री माधो प्रसाद पुत्र स्व० राय बहादुर लाला** राम चरण दास को पट्टेदार कहा गया है) और यह कि उक्त पट्टागत नजूल भूखण्ड संख्या 133, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद जिसका क्षेत्रफल पट्टे में अंकन के अनुसार 15 एकड़ 2791 वर्गगज़ था, के पट्टे की अवधि दिनांक 08.10.1918 ई० से 50 वर्ष अर्थात 07.10.1968 ई० तक के लिए थी।

क्रेता के हस्ताक्षर **विक्रेता**

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

दिनांक 3/12/03 .... [illegible] 1500

नाम व पता [illegible] ....

...28 क्लिंगम रोड...................

हस्ताक्षर

जिनकी पहचान श्री सतीश टण्डन पुत्र श्री स्व० मोहनदास टण्डन

निवासी 28 क्लिंगम रोड इला०..................

तथा श्री अब्दुल जलील एडवो०..................

निवासी ....

शहर व जिला इलाहाबाद ने की।

उप निबंधक

सदर-इलाहाबाद

11-12-03

Satish Tandon Adil Advocate

दफ्तर सब रजिस्ट्रार (सदर) इलाहाबाद उत्तर प्रदेश

सत्यमेव जयते

Having Satisfied Myself that this Deed Has Been Executed By Sri S. N. S[illegible] In His Official Capacity His Attendance & Signatures Are Dispensed With And The Deed Admitted To Registration.

S.R.

उपरोक्त प्रगटतः भले साक्षियों के अ...

सनियम लिए गये हैं।

उ...

सद...

11-...

15000रू. भारतीय गैर न्यायिक 15000रू.
INDIA NON JUDICIAL
पन्द्रह हज़ार रुपये
RUPEES FIFTEEN THOUSAND
सत्यमेव जयते
Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

1 DEC 2003 01BB 494325

(3)

उक्त श्री माधो प्रसाद के बाद नजूल सम्पति पंजिका में उनके पुत्र लाला मनमोहन दास टण्डन का नाम पट्टेदार के रूप में अंकित हुआ। वर्ष 1952 में दिनांक 30.04.1952 ई० को हुये पारिवारिक समझौते में उक्त सम्पत्ति श्री हरि मोहन दास टण्डन के पक्ष में आयी और कलेक्टर लेटर नम्बर 342-XXV-2/6(50-51) दिनांक 07.11.1952 ई० के द्वारा उक्त श्री लाला मनमोहन दास टण्डन का नाम खारिज कर उनके पुत्र उक्त श्री हरि मोहन दास टण्डन का नाम नजूल सम्पत्ति पंजिका में पट्टेदार के रूप में अंकित हुआ। बाद में वर्ष 1964 ई० में शासनादेश संख्या U.O. 398-B/XI-K-H-33 R/61 दिनांक 09.06.1964 ई० के द्वारा भूखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्रफल को रिज्यूम (पुर्नगृहीत) किया गया और सम्पूर्ण क्षेत्रफल 15 एकड़ 2791 वर्गगज में से 10.315 एकड़

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
15000रु.
पन्द्रह हज़ार रुपये
RUPEES FIFTEEN THOUSAND
Rs.15000
सत्यमेव जयते
भारत INDIA

0 J BB 494326

1 DEC 2003

(4)

भूमि सरकिट हाउस के निर्माण के लिये रखा गया और शेष 5 एकड़ 1266 वर्गगज में दो अलग-अलग पट्टे क्रमशः श्री हरि मोहन दास टण्डन के पक्ष में तथा दूसरा पट्टा श्री पुरूषोत्तम दास टण्डन व श्री बेनी प्रसाद टण्डन (श्री हरिमोहन दास टण्डन के बड़े भाइयों) के पक्ष में दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त शासनादेश के क्रम में श्री हरिमोहन दास टण्डन को भी सूचना कलेक्टर इलाहाबाद के पत्र संख्या 1680/N.C.-XXV-1/12(63-64) दिनांक 13.06.1964 ई० द्वारा की गयी। उक्त के परिप्रेक्ष्य में नजूल सम्पत्ति पंजिका में भूखण्ड को तीन भागों में विभक्त कर भूखण्ड संख्या 133 सिविल स्टेशन, इलाहाबाद क्षेत्रफल 10 एकड़ 1525 वर्गगज दि एडमिनेस्ट्रेटर जनरल डिपार्टमेन्ट यू०पी० स्टेट गवर्नमेन्ट (सरकिट हाउस) के लिये, भूखण्ड

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

8

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.
INDIA NON JUDICIAL
पन्द्रह हजार रुपये
RUPEES FIFTEEN THOUSAND
सत्यमेव जयते
Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

0JBB 493995

19 NOV 2003

(5)

संख्या 133A सिविल स्टेशन, इलाहाबाद क्षेत्रफल 2 एकड़ 2185 वर्गगज श्री पुरूषोत्तम दास टण्डन व श्री बेनी प्रसाद टण्डन के नाम से तथा भूखण्ड संख्या 133-B सिविल स्टेशन, इलाहाबाद क्षेत्रफल 2 एकड़ 3921 वर्गगज श्री हरिमोहन दास टण्डन के नाम से अंकित किया गया। उपरोक्त तीनों भूखण्डों में से भूखण्ड संख्या 133A क्षेत्रफल 2 एकड़ 2185 वर्गगज अथवा 11865 वर्गगज अथवा 9920.32 वर्गमीटर के सह पट्टेदार श्री बेनी प्रसाद टण्डन का देहान्त दिनांक 02.06.1978 ई० को हो गया। उनके उत्तराधिकारियों में उनकी 4 पुत्रियाँ श्रीमती आशा रानी कपूर पत्नी श्री जगन्नाथ कपूर, श्रीमती ऊषा रानी कपूर पत्नी श्री कृष्ण गोपाल कपूर, श्रीमती शशि रानी कपूर पत्नी श्री विजय कुमार कपूर व श्रीमती उमारानी खुन्नाह पत्नी श्री श्याम

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 सत्यमेव जयते Rs.15000

भारत INDIA

0JBB 493994

लाल खुन्नाह हैं। यद्यपि कि उपरोक्त में से श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन ने दिनांक 17.08.1987 ई०, श्रीमती आशारानी कपूर ने दिनांक 19.12.1994 ई०, श्रीमती ऊषारानी कपूर ने दिनांक 30.12.1994 ई०, श्रीमती शशिरानी कपूर ने दिनांक 30.12.1994 ई० व श्रीमती उमारानी खुन्नाह ने दिनांक 19.12.1994 ई० को नया पट्टा श्रीहरिमोहन दास टण्डन के पक्ष में दिये जाने हेतु अपनी अनापत्ति दे दी थी तथापि इन्होंने भूखण्ड के क्षेत्रफल 5067.78 वर्गमीटर के लिए श्री हरि मोहन दास टण्डन के पक्ष में फ्रीहोल्ड किये जाने हेतु क्रमशः दिनांक 27.06.2000, 28.06.2000, 28.06.2000, 30.06.2000, व 28.06.2000 को अपनी अनापत्ति/सहमति दिया। उक्त आधार पर हरिमोहन दास टण्डन ने क्षेत्रफल 5067.78 वर्गमीटर भूमि के फ्रीहोल्ड किये जाने का अनुरोध किया। शासन ने भी शासनदेश संख्या 3278/9-आ-4-2000-534N/97 दिनांक

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.
INDIA NON JUDICIAL
पन्द्रह हज़ार रुपये
RUPEES FIFTEEN THOUSAND
Rs.15000 सत्यमेव जयते भारत INDIA Rs.15000

0JBB 493993

(7)

26.06.2001 ई० के द्वारा उक्त अनापत्ति/सहमति पत्र को नामित श्रेणी में मानते हुये श्री हरिमोहन दास टण्डन के पक्ष में फ्रीहोल्ड किये जाने का निर्देश दिया। उक्त आवेदित क्षेत्रफल 5067.78 वर्गमीटर में से क्षेत्रफल 779.83 वर्गमीटर भूमि महायोजना में हेस्टिंग्स रोड के चौड़ीकरण हेतु तथा 121.23 वर्गमीटर भूमि म्योर रोड के चौड़ीकरण हेतु कुल 901.06 वर्गमीटर भूमि जो कि संलग्न मानचित्र में पीले रंग से रंग कर दर्शाया गया है को चौड़ीकरण में काटने के पश्चात शेष भूमि क्षेत्रफल 4166.72 वर्गमीटर जो कि संलग्न मानचित्र में लाल रंग से रेखाकिंत भूमि का ही फ्रीहोल्ड किया जा रहा है। इस प्रकार "क्रेता" पट्टा विलेख की अनुसूची में उल्लिखित नजूल भूखण्ड जिसे इस विलेख की अनुसूची में भी वर्णित किया गया है का पट्टेदार से पट्टागत भूमि का नामित व्यक्ति है।

और चूँकि क्रेता ने इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नज़ूल भूखण्ड जिसका कि वह

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हज़ार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

0JBB 493992

[illegible]

(8)

नामांकिती (नामित व्यक्ति) है, प्रदेश की नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक शासनादेश संख्या 1562/9-आ-4-92-293 एन/90, दिनांक 23.5.1992; शासनादेश संख्या-3632/9-आ-4-92-293एन/90, दिनांक 2-12-92, शासनादेश संख्या- 2093/9-आ-4- 94-293एन/90, दिनांक 3-10-94, शासनादेश संख्या-3082/9-आ-4-95-628एन/95, दिनांक 1-1-96, शासनादेश संख्या-82/9-आ-4-96-629 एन/95, दिनांक 17-2-96, शासनादेश संख्या-1300/9-आ-4-96-629एन/95, (टी.सी.), दिनांक 29-8-96, शासनादेश संख्या-2029/9-आ-4-97-260एन/97, दिनांक 26-9-97, शासनादेश संख्या-667/9-आ-4-98-691/97 (टी0सी0), दिनांक 23 अप्रैल, 1998, शासनादेश संख्या -2268/9-आ- 4-98-704एन/97, दिनांक 1-12-98 एवं शासनादेश संख्या -1592/9- आ-4-99-691एन/97 (टी०सी०) दिनांक 20-5-99 में निर्दिष्ट निर्देशानुसार फ्री-होल्ड लैण्ड घोषित करने तथा उस पर क्रेता को निजी

क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

विक्रेता

[illegible]

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

0JBB 493991

(9)

स्वामित्व प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी, जनपद - इलाहाबाद को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र दिया है।

और चूँकि नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्ताड्ण विषयक जारी उपर्युक्त शासनादेशों में निर्दिष्ट निर्देशानुसार तथा शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांक 01 दिसम्बर 1998 के अनुसार स्वमूल्यांकन की धनराशि रूपये **4,56,120/-** (शब्दों में रूपये **चार लाख छप्पन हजार एक सौ बीस** मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या **45** दिनांक **20.01.1999 ई०** द्वारा, तथा दिनांक 07.11.2003 ई० को निर्गत मांग पत्र संख्या **101/नजूल(S.N.C.)-XXI-8/672**(फ्रीहोल्ड)**98-99** की धनराशि रूपये **9,47,547/-** (शब्दों में रूपये **नौ लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ सैंतालिस** मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या **1** दिनांक **15.11.2003 ई०** द्वारा, इस प्रकार सम्पूर्ण आंकलित निर्धारित मूल्य रूपये **14,03,667/-** (शब्दों में रूपये **चौदह लाख तीन हजार छः सौ सड़सठ**

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

5000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते
भारत

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

(10)

मात्र) क्रेता से प्राप्त करके ज़िलाधिकारी, जनपद- इलाहाबाद आगे वर्णित शर्तों के अधीन इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड को निजी स्वामित्व वाला (फ्री-होल्ड) भूखण्ड घोषित करने तथा उसपर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु एतद्द्वारा सहमत हैं।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित गवर्नमेन्ट ग्रान्ट ऐक्ट (सन् 1895 ई0 का ऐक्ट संख्या 15) के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड क्रेता के पक्ष में फ्रीहोल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु क्रेता द्वारा विक्रेता को कुल धनराशि रूपये **14,03,667/-** (शब्दों में रूपये **चौदह लाख तीन हजार छः सौ सरसठ** मात्र) जनपद- इलाहाबाद स्थित राजकीय कोषागार में उपर्युक्त ट्रेजरी चालान द्वारा किये गये भुगतान (जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतद्द्वारा स्वीकार करता है), के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों जिनका क्रेता पालन करेगा, को ध्यान में

क्रेता के हस्ताक्षर | **विक्रेता**

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

(11)

रखकर विक्रेता एतद्द्वारा वह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है और जो स्पष्टीकरण के लिये इस विलेख से संलग्न मानचित्र में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है को महायोजना में विनिर्दिष्ट **अनावासीय** भू-उपयोग के निमित्त फ्रीहोल्ड घोषित करते हैं और उसपर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं और क्रेता, उसके दायाधिकारी तथा समनुदेशिती सदा के लिये उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड या उसपर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करों और उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान क्रेता करेगा।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर यदि कोई भी विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों या उसके दावेदार के बीच कभी उठ खड़ा हो तो वह निर्णय हेतु

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

1Re

INDIA

एक रूपया

सत्यमेव जयते

ONE RUPEE भारत ONE RUPEE

(12)

राज्य सरकार के आवास विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव को भेजा जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इस विलेख के दोनों पक्ष उससे बाध्य होंगे।

यह फ्रीहोल्ड विलेख माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या 32605/91, सत्य नारायण कपूर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि में पारित निर्णय दिनाँक 15.10.1997 ई० के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 1557-59/98 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन निष्पादित की जा रही है।

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में जो कुछ भी व्यय होगा, क्रेता वहन करेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द **"विक्रेता"** और **"क्रेता"** के सम्बन्ध

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

INDIA एक रुपया ONE RUPEE सत्यमेव जयते भारत ONE RUPEE एक रुपया 1Re

में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, **"विक्रेता"** में उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशिती का तथा **"क्रेता"** में उसके दायाधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव है।

इस विलेख के साक्ष्य में क्रेता ने और विक्रेता की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उन तिथियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी हैं।

इसमें अभिदिष्ट अनुसूची निम्नांकित हैः-

नजूल भूखण्ड संख्या **133A, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद** का अंश भाग उपखण्ड संख्या **133A/1,** क्षेत्रफल **4166.72** वर्गमीटर स्थित मुहल्ला हेस्टिंग्स रोड, सिविल स्टेशन, जनपद-इलाहाबाद जो संलग्न नक्शे मे लाल रंग से दिखाया गया है और जिसकी चौहद्दी

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

निम्नलिखित है:-

पूरब - नजूल भूखण्ड संख्या **133A,** सिविल स्टेशन, इलाहाबाद का भाग।

पश्चिम - हेस्टिंग्स रोड, इलाहाबाद

उत्तर - म्योर रोड, इलाहाबाद।

दक्षिण - नजूल भूखण्ड संख्या **133-B,** सिविल स्टेशन, इलाहाबाद।

फ्रीहोल्ड के लिये क्रेता ने स्वमूल्यांकन की धनराशि रूपये **4,56,120/-** (शब्दों में रूपये **चार लाख छप्पन हजार एक सौ बीस** मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या **45** दिनांक **20.01.1999 ई०** द्वारा, तथा निर्गत मांग पत्र की धनराशि रूपये **9,47,547/-** (शब्दों में रूपये **नौ लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ सैंतालिस** मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या **1** दिनांक **15.11.2003 ई०** द्वारा, कुल रूपये

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

INDIA

एक रुपया — ONE RUPEE — सत्यमेव जयते — भारत — ONE RUPEE — एक रुपया

14,03,667/- (शब्दों में रूपये **चौदह लाख तीन हजार छः सौ सरसठ** मात्र) जमा कर दिया है।

क्रेता के हस्ताक्षर — विक्रेता

[illegible] — 10.12.2003

नाम -हरीमोहन दास टण्डन
पुत्र स्व. श्री मनमोहन दास टण्डन
निवासी- 28, हेस्टिंग्स रोड,
इलाहाबाद

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नजूल)
इलाहाबाद

1. साक्षी का हस्ताक्षर Satish Tandon
पूरा नाम Satish Tandon S/o Hari Mohan Das Tandon
पता 28, Hastings Road, Allahabad.

1. साक्षी का हस्ताक्षर [illegible]
नाम व पदनाम [illegible]

2. साक्षी का हस्ताक्षर Afiri Advocate
पूरा नाम ABDUL JALIL ADVOCATE
पता 743/489, MUTTHIGANJ, ALLAHABAD.

2. साक्षी का हस्ताक्षर [illegible]
नाम व पदनाम [illegible]
[illegible], इलाहाबाद

03/12/2003

ता० .... ई० ... श्री हरि मोहन दास टण्डन पुत्र स्व. श्री मनमोहन दास टण्डन

सा० ...... हेस्टिंग्स रोड .... जिला इलाहाबाद

के हाथ स्टाम्प बेचा है ...... श्री टी० पी० पाठक

स्टाम्प विक्रेता ट्रांस [illegible]

ला०नं० 467 दीवानी कचहरी परिसर इलाहाबाद

फोन नं० 2644971 रजि० नं० 76

आज दिनांक 11/12/03 को पुस्तक संख्या I

खण्ड संख्या 4221 के पृष्ठ संख्या 57/88

क्रम संख्या 14229 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

सदर, इलाहाबाद

दफ्तर सब रजिस्ट्रार (सदर) इलाहाबाद * उत्तर प्रदेश *